तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेंस / एलआर / 3592 / 2003 / सवाईमाधोपुर** **सरकार बनाम चन्द्रप्रकाश**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ
श्री भवानी सिंह पालावत, सदस्य

राजकीय पैरोकार उपस्थित

दिनांकः 13–01–2025

निर्णय

यह रेफरेंस राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सवाई माधोपुर द्वारा प्रकरण संख्या 76 / 2000 में पारित निर्णय दिनांक 17–06–2003 द्वारा अनुशंषा करते हुए राजस्व मण्डल को प्रेषित किया है।

राजकीय पैराकार ने अपनी बहस में रेफरेन्स प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम शेषा में खसरा नंबर 811 रकबा 2 बिस्वा व खसरा नंबर 144 रकबा 1 बीघा दिनांक 05–06–1973 को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आनन्दीलाल पुत्र गुजरमल जैन निवासी शेषा के नाम आवंटन की गई थी तथा दिनांक 27–06–1973 को हुए आवंटन सूची ग्राम शेषा की क्रम संख्या 16 पर खसरा नंबर 1787 रकबा 1 बीघा भूमि आनन्दीलाल पुत्र गुजर मल जैन के नाम अंकित कर कटा हुआ है तथा कटिंग पर आवंटन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर है। तत्कालीन पटवारी हल्का शेषा द्वारा खसरा नंबर 1787 रकबा 1 बीघा भूमि का आवंटन आनन्दीलाल पुत्र गुजरमल जैन के नाम नहीं होने पर भी नामान्तरकरण संख्या 554 में उपरोक्त तीनों खसरा नंबर 811 रकबा 2 बिस्वा 1440 रकबा 1 बीघा तथा 1787 रकबा 1 बीघा कुल तीन किता रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा का अंकन आनन्दीलाल पुत्र गुजर मल जैन के नाम आवंटन होना बताते हुए दर्ज कर दिनांक 03–10–1977 को सरपंच ग्राम पंचायत शेषा से निर्णित कराया गया। उल्लेखनीय है कि आवंटन से संबंधित तथा आवंटन के 4 साल बाद नामान्तरकरण खोलने के अधिकार ग्राम पंचायत को प्राप्त नहीं है। अतः प्रथमदृष्टया ही उक्त नामान्तरकरण अनाधिकार रूप से क्षेत्राधिकार से बाहर निर्णित करने के कारण निरस्तनीय है। ऐसे नामान्तरकरण खोलने के अधिकार केवल सक्षम अधिकारी तहसीलदार नायब तहसीलदार में निहित होते हैं। आनन्दीलाल के स्वर्गवास के बाद विरासत से मृतक की अन्य खातेदारी की भूमि के साथ–साथ उक्त भूमि किता तीन रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा भी मृतक के वारिसान चन्द्र प्रकाश, जितेन्द्र कुमार, पिसरान आनन्दीलाल, मुसम्मात सुरजा देवी बेवा आनन्दीलाल हिस्सा बराबर के नाम जरिये नामान्तरकरण संख्या 1591 दिनांक 09–06–1992 दर्ज रिकॉर्ड हो गई। तत्पश्चात इन्हीं अवैध रूप से स्वीकृत किये गये नामान्तरकरणों के आधार पर संबंधित भूमि का नामान्तरकरण संख्या 1762 बाबत गैर खातेदारी से खातेदारी का दिनांक 21–10–2000 को विपक्षीगण के पक्ष में स्वीकृत किया गया, जो भी नियमानुसार गलत है। जब दिनांक 27–06–1973 को

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेंस / एलआर / 3592 / 2003 / सवाईमाधोपुर** **सरकार बनाम चन्द्रप्रकाश**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	आनन्दीलाल को कोई भूमि आवंटित ही नहीं हुई, तो बिना आवंटन के ही तत्कालीन पटवारी हल्का शेषा श्री मोहम्मद उमर ने स्वर्गीय आनन्दीलाल के प्रलोभन देने पर नामान्तरकरण संख्या 554 दिनांक 03–10–1977 खोलकर ग्राम पंचायत से तस्दीक करवा लिया। इस प्रकार न तो भूमि आवंटित हुई और न ही ग्राम पंचायत को नामान्तरकरण संख्या 554 निर्णित करने का अधिकार था, ऐसी सूरत में नामान्तरण संख्या 554 नियम विरूद्ध बिना किसी आधार व क्षेत्राधिकार के निर्णित किये जाने से निरस्त होने योग्य है तथा नामान्तरकरण संख्या 554 के आधार पर उसके बाद खोले गये नामान्तरकरण संख्या 1591 दिनांक 09–06–1992 व नामान्तरकरण संख्या 1762 दिनांक 21–10–2000 स्वतः ही नियम विरूद्ध होने से निरस्त होने योग्य है। अतः यह रेफरेंस स्वीकार किया जाकर ग्राम शेषा के नामान्तरकरण संख्या 554 दिनांक 03–10–1977 नामान्तरकरण 1591 दिनांक 09–06–1992 तथा नामान्तरकरण संख्या 1762 दिनांक 21–10–2000 निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान किये जावें। बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। पत्रावली के अवलोकन से आनन्दीलाल जैन को दिनांक 27–06–1973 को ग्राम शेष में कोई भूमि आवंटन होना नहीं पाया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मूल आवंटन कार्यवाही पंजिका मंगवाकर उसका गहनतापूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन करने के पश्चात आनन्दीलाल को कोई आवंटन होना नहीं पाया गया। अप्रार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष भी ऐसा कोई आवंटन प्रार्थना पत्र, आवंटन आदेश, कब्जा विवरण की प्रमाणित प्रतिलिपि आदि प्रस्तुत नहीं की है, जिससे कि आनन्दीलाल को भूमि का आवंटन किया जाना साबित हो। अप्रार्थीगण आनन्दीलाल को कोई आवंटन होना सिद्ध करने पूर्णतया असफल रहे हैं। ऐसी स्थिति में फर्जी आवंटन के आधार पर एवं बिना किसी क्षेत्राधिकार के ग्राम पंचायत द्वारा खोला गया नामान्तरकरण संख्या 554 दिनांक 03–10–1977 निरस्तनीय है तथा नामान्तरकरण संख्या 554 के आधार पर खोले गये पश्चातवर्ती नामान्तरकरण संख्या 1591 दिनांक 09–06–1992 एवं नामान्तरकरण संख्या 1762 दिनांक 21–10–2000 भी निरस्त किये जाने योग्य है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह रेफरेन्स स्वीकार किया जाता है तथा विवादग्रस्त आराजी बाबत खोले गये नामान्तरकरण संख्या 554 दिनांक 03–10–1977, नामान्तरकरण संख्या 1591 दिनांक 09–06–1992 तथा नामान्तरकरण संख्या 1762 दिनांक 21–10–2000 को निरस्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। निर्णय सुनाया गया। **(भवानी सिंह पालावत)** **सदस्य**	